राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2018/46 दिनांक 04.01.18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व वाद सं. 162/2017 अनवान भमराराम वगैरा बनाम राजाराम वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 04.01.2017 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत **सहायक कलक्टर चौहटन** मुकाम **चौहटन**

व इजलास ***श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.***

1. भमराराम 2.पताराम पि. सुराराम जाति मेघवाल, निवासी लिडियाला तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर। **बनाम**

1. राजूराम पुत्र सुराराम
2. चम्पादेवी पत्नि सुराराम जाति मेगवाल, निवासी लिडियाला
3.तहसीलदार चौहटन

वाद बाबत 88,188, RT Act.

मुकदमा नं. 162/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री जगदीश पोटलिया** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री नरेश भादू** एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम लिडियाला, तहसील चौहटन के खसरा सं. 136 रकबा 38.16 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण सं. 1 से 2 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ 1/4–1/4 हिस्सा का सहखातेदार में घोषित किया जाता है । तहसीलदार चौहटन को आदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।**..... बीज .... मबलिग ..... बाबत ..... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक ..... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04.01.18 को जारी की गई।

दस्तखत.....

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुहर

ओहदा .....

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे ..... करना।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 162/2017

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियक 1955

अनवान वादीगण – 1. भमराराम 2.पताराम पि. सुराराम
जाति मेघवाल, निवासी लिडियाला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. राजूराम पुत्र सुराराम
2. चम्पादेवी पत्नि सुराराम
जाति मेगवाल, निवासी लिडियाला
3.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीनीगण वकील – **श्री जगदीश पोटलिया**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री नरेश भादू (प्रतिवादी सं. 1 व 2)**

निर्णय

अन्तर्गत धारा 88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :– 04.01.2018

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 एक ही खानदान से है जो पूर्वपुरूष सुराराम की औलाद है । वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी व पैतृक सम्पति के खेत मौजा लिडियाला तहसील चौहटन में खसरा सं. 136 रकबा 38.16 बीघा का आया हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 के पूर्व पुरूष सुराराम के फौत होने पर प्रतिवादीगण ने जमीन हड़पने की नियत से कर्मचारियों से मिली भगत कर अपने आपको सुराराम का वारिश बताकर फौतगी का नामान्तरकरण अपने नाम करवा दिया जो गलत था। वादीगण सुराराम के जाईन्दा पुत्र है इसलिए सुराराम के हिस्से की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 का बराबर हिस्सा बनता है। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त में वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 से 2 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा बनता है। इसी हिस्से अनुसार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

इसलिए वादीगण ने उपरोक्त वादग्रस्त में अपना प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश भादू ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 से 2 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 2 ने अपने जवाब दावा में स्वीकार किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 पूर्वज सुरा के जाईन्दा पुत्र है। वादीगण का नाम फौतगी नामान्तरकरण में छूट गया था। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा बनता है। इसलिए वादीगण प्रत्येक को हम प्रतिवादी सं. 1 से 2 के साथ 1/4–1/4 हिस्सा का सह खातेदार घोषित किया जावे।

वादीगण वकील साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 राजाराम पुत्र सूराराम, पी.डब्ल्यू.2 भमराराम पुत्र सूराराम के शपथ पत्र पेश किये। लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में Exp.1 जमाबन्दी नकल संवत् 2073–76 मौजा लिडियाला के खसरा सं. 136 रकबा 38.16 बीघा , Exp.2 नकल नामान्तरकरण की प्रतियां पेश की। वकील प्रतिवादी सं. 1 से 2 को जिरह एवं साक्ष्य हेतु अवसर दिये गये लेकिन प्रतिवादी सं. 1 व 2 के वकील जिरह एवं साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। अतः अवसर बन्द किया गया।

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित हुए। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 एक ही खानदान से है जो पूर्वपुरूष सुराराम की औलाद है । सुराराम के फौत होने पर प्रतिवादीगण ने जमीन हड़पने की नियत से कर्मचारियों से मिली भगत कर अपने आपको सुराराम का वारिश बताकर फौतगी का नामान्तरकरण अपने नाम करवा दिया जो गलत था। वादीगण सुराराम के जाईन्दा पुत्र है इसलिए सुराराम के हिस्से की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 का बराबर हिस्सा बनता है। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त में वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 से 2 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा बनता है। इसी हिस्से अनुसार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 से 2 के साथ संयुक्त खातेदार घोषित किया जावे।

बहस में प्रतिवादी सं. 1 से 2 के अधिवक्ता का कथन है कि वादीगण का वाद स्वीकार है । हमारे पिताजी सूराराम के फौत होने पर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि हम प्रतिवादी सं. 1 व 2

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

के नाम दर्ज की गई। वादीगण का नाम छूट गया था। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण 1/4 – 1/4 हिस्सा है। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। इसलिए वादीगण को उपरोक्त वादग्रस्त में सहखातेदार घोषित किया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों, सबूतों का गहन अध्ययन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त खसरा सं. 136 रकबा 38.16 बीघा मौजा लिडियाला वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 के पूर्व पुरूष स्व. सुराराम के खातेदारी में दर्ज थी। सुराराम के फौत हाने पर फौतगी का नामान्तरकरण भरते समय प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम दर्ज किया गया। वादीगण सं. 1 से 2 का नाम नामान्तरकरण में शामिल नहीं किया गया जबकि वादीगण सं. 1 से 2 भी सुराराम के विधिक वारिश थे। इसलिए उनका नाम भी नामान्तरकरण में शामिल होना चाहिए था। लेकिन भूलवंश शामिल नहीं किया गया। जिसे वादी सं. 1 भमराराम ने अपने साक्ष्य में पेश किये गये शपथ पत्र में स्वीकार भी किया। वादीगण को वादग्रस्त आराजी में 1/4–1/4 हिस्सा का खातेदारी घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 के वकील को कोई आपति नहीं है।

जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाना न्यायोचित होगा ।

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का.अ. स्वीकार किया जाकर मौजा लिडियाला, तहसील चौहटन के खसरा सं. 136 रकबा 38.16 बीघा में वादीगण सं. 1 से 2 प्रतिवादी सं. 1 से 2 के साथ 1/4 – 1/4 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तथा निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन